(ii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति उन ज्ञात हितबद्ध पक्षों को भेजी; जिनसे प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में अपने विचार, यदि कोई हों, को पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था;

(iii) प्राधिकारी ने नई दिल्ली स्थित फ्रांस, हंगरी के दूतावासों और ब्रिटिश उच्चायोग को भी प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी कि वे निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों को उपरोक्त (i) और (ii) में निर्धारित की गई समय-सीमा में प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दें;

(iv) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को दिनांक 17.7.2000 को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । सभी पार्टियों को प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और उसका खण्डन, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी;

(v) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पार्टियों के लिए निरीक्षण हेतु उपलब्ध की;

(vi) प्रारंभिक निष्कर्ष घोषित किए जाने से पूर्व हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क जो अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किए गए हैं, को संक्षिप्तता के कारण यहां दोहराया नहीं गया है, तथापि प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों तथा दिनांक 29.2.2000 को प्रकटन विवरण-पत्र, और जो इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, पर इन निष्कर्षों में समुचित ढ़ंग से कार्रवाई की गई है;

(vii) प्राधिकारी द्वारा जहां तक संभव था यू के, जर्मनी (विपणन सहयोगी अर्थात् फ्रांस आधारित उत्पादकों का निर्यातक) तथा हंगरी में अधिकारियों के एक दल ने निर्यातकों अर्थात् मै0 इलफोर्ड इमेजिंग लि0, यू के, मै0 फोर्ट फोटोकेमिकल कं0 लि0, हंगरी और मै0 अगफा गेवार्ट, ए जी, जर्मनी के परिसरों की अगस्त/सितम्बर, 2000 में जांच की;

(viii) उपरोक्त नियम 16 के अनुसार, इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को दिनांक 29.9.2000 को किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है;

(ix) विचार की गई जॉच अवधि 1.4.98 से 30.6.99 तक की है;

(x) यह मामला 27.8.2000 को शुरू किया गया था और केन्द्र सरकार द्वारा जांच की अवधि 26.10.2000 तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है ।

(xi) प्राधिकारी ने कीमत में कटौती से संबंधित मुद्दों और अनुरोधों को सुना तथा संबंधित हितबद्ध पक्षों से विचार-विमर्श किया ।

**(ख) याचिकाकर्त्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच ।**

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रकटन विवरण-पत्र में चर्चा की गई है । जिन विचारों पर प्रकटन विवरण-पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो विचार अब प्रकटन विवरण-पत्र के जबाव में दिए गए हैं, उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे नियमों के अनुसार संगत हैं और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं । हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गई है, उन पर विचार किया